सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

ज्येष्ठ 18, गुरूवार, *शाके* 1945-जून 08, 2023

*Jyaistha 18, Thursday , Saka 1945- June 08, 2023*

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**वन विभाग**

विज्ञप्ति

**जयपुर, मई 17, 2023**

**संख्या प. 2(9)वन/2022 :-** चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वाक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार पर वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप की संबंध में जाँच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहूंचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर का पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त उक्त की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषित करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये

गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उस किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**
शिखर अग्रवाल,
अति. मुख्य सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (सरक्षित वृक्ष)

**प्रथम अनुसूची**

<table>
<tr><th>संख्या</th><th>नाम ब्लॉक</th><th>नाम तहसील</th><th>नाम जिला</th><th>सीमा</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बाडिया लूम्बा</td><td>ब्यावर</td><td>अजमेर</td><td>उत्तर-खसरा संख्या 291/264 की भूमि<br>पूर्व-खसरा संख्या 110, 109, 262/112 की भूमि<br>दक्षिण-अन्य खसरा की भूमि<br>पश्चिम- अन्य खसरा की भूमि</td><td>राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम बाडिया लूम्बा में स्थित भूमि खसरा एवं किस्म निम्नानुसार हैः- (शोलिया-1)
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>खसरा नम्बर</th><th>क्षेत्रफल (है0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>290/264</td><td>7.0484</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>7.0484</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

नोटः राजस्थान राज पत्र दिनांक 17.05.2023 के भाग सं पृष्ठ संख्या में प्रकाशित हुआ ।

राजेश खत्री,
**सर्वेयर अजमेर।**

**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**ब्यावर**

सुनील,
**उप वन सरंक्षक,**
**अजमेर।**

द्वितीय अनुसूची

| क्र.सं. | नाम प्रजाति (स्थानीय) | नाम प्रजाति (बोटेनिकल) |
|---|---|---|
| 1. | विलायती बबूल | Prosopis juliflora (प्रोसोफिस जूलीफलोस) |

**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**ब्यावर**

सुनील,
**उप वन संरक्षक,**
**अजमेर।**

परिशिष्ट- 'क'

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नही होता है उसे काट दे)

वनखण्ड:- बाड़िया लूम्बा
रेन्ज:- ब्यावर
वन मण्डल:- अजमेर

1. उक्त गैर वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रकरण Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar total forest land diversion 7.0484 hectare FP/RJ/WATER / 33714/2018 में प्रत्यावर्तन के क्रम मे प्राप्त 7.0484 हैक्टर भूमि को गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
2. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः गैर मुमकिन सड़क / बा.2, बा.3 है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 मे विस्तृत रूप से खसरा नंबरों का विवरण दर्शाया गया है ।
3. वर्तमान मे भूमि राजस्व अभिलेखो में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य कराया जाना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
4. वर्तमान मे उक्त क्षेत्रों में कोई प्लांटेशन एवं अन्य विकास कार्य नहीं कराये गये है। इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य मे इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
5. इन वनखण्डो में प्रमुख प्रजाति विलायति बबूल है तथा कुछ क्षेत्रों में घनत्व नगण्य है।
6. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र खातेदारी भूमि है तथा चारो ओर की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
7. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति मे दिखाई गई दिशाओ सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रो की सीमा को नक्शे मे लालस्याही से इंगित किया गया है।

8. प्रस्तावित वनो के प्रारूप यथा विधि मे नहीं भेजने के कई कारण रहे है, किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमो के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें कि इन भूमियो पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

9. उक्त वन भूमि का पूर्व मे राजपत्र मे प्रकाशन नही हुआ है।

हस्ताक्षर

सुनील चिद्री,
**उप वन संरक्षक अजमेर।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**